न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

सं. 78 / 2021
सीएमएस : 2021 / 178

1. जगराजसिंह पुत्र श्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख साकिन 79 एनपी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:प्रार्थी

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी प्रीतमसिंह जाति रायसिख साकिन बरूवाला तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगागनगर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रजू 09.06.2021

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री जितेन्द्र सोनी .प्रार्थी अधिवक्ता.
2. श्री राजू राम ओझा अप्रार्थी अधिवक्ता

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :— 23.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि सुमित्रा देवी के नाम चक 4 बी डब्ल्यूएसएम के मु.न. 34 प.न. 290 / 330 के 23.10 बीधा नहरी उपखण्ड अधिकारी रायसिहंनगर के द्वारा दिनांक 02.08.2014 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थी ही इस भूमि की आवंटन की हकदार है। उक्त भूमि में से मु.न. 34 प.न. 290 / 330 के कि.न. 14 ता 25 के 12 बीधा भूमि अप्रार्थीया के द्वारा दिनांक 15.12.2015 को मुझे प्रार्थी को बैय कर दिया था। उसी दिन कब्जा मुझ प्रार्थी को संभलवा दिया गया। उसकी खरीदशुदा भूमि कि.न. 14 ता 25 पर उसकी फसल काश्त की हुई हैं परन्तु मेरे साथ बैयनामां की शर्ते को मानने के लिए अप्रार्थीया तैयार नहीं है। उक्त भूमि अभी संयुक्त खाता में है। प्रार्थी अपनी खरीदशुदा भूमि पर अलग काश्त कर रहा है। जिसका प्रार्थी अलग से खाता विभाजन करवाना चाहता है। अप्रार्थीया की नियत में खोट आ गई है वह मेरी भूमि में जबरन काबिज होकर किसी अन्य को बेचाना करना चाहती है। कब्जा करने की प्रयास अप्रार्थीया है। अप्रार्थीया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो मुझे अपूर्णीया क्षति होगी। भूमि मैने वैध तरीके से वैध प्रतिफल देकर खरीद की है, जिस पर मेरी काश्त है । इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रथमदृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु मेरे पक्ष में है। अप्रार्थीया सुमित्रा के साथ दिनांक 06.06.2021 को बमुकाम चक 4 बी डब्लयूएसएम में एक पंचायत की जिससे उसे समझाया कि वह शान्तिपूर्वक खाता विभाजन करवा लेवे व प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार की कोई दखल अन्दानी न करें । तो अप्रार्थीगया ने प्रार्थी की बात मानने से इन्कार कर दिया ओर साफ साफ धमकी दी कि वह किसी प्रकार से खाता विभाजन नहीं करवाऐगी ओर इस भूमि को अन्यत्र बेचेगी उसेने यह भी धमकी दी की मेरा कुछ [illegible] कुछ नही बिगाड सकते। यही कारण विनाय एवं मुखास्मत वाद है। भ[illegible] राजस्थार सरकार की ओर से तहसीलदार औपचारिक [illegible] बनाया [illegible] अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीया [illegible] निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ता फैसला वाद [illegible] एसएम के मु.न. 34 प.न. 290 / 330के कि.न. 14 ता 25 के 12—00 बीघा नहरी भूमि प्रार्थी के कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:33:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी न करे ओर न ही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजू राम ओझा अधिवक्ता हाजिर आये। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर जरिये अधिवक्ता दिनांक 08.02.2022 को प्रस्तुत किया कि अपने जबाव प्रार्थना पत्र में विरोध प्रकट करते हुये कथन किया कि वाके चक 4 बी डब्लूय एस एम के मु.न. 34 प.न. 290 / 330 के 23–10 बीधा भूमि गल्त लिखा गई है। इस मु.न. में अप्रार्थी सं. 1 को 6.074 है. भूमि को आवंटन करवाने का पात्र दिनांक 25.08.2014 को आदेश पारित किया है अभी तक भूमि आवंटन हीं हुई है। रकबा राज है। अभी तक आवंटन नहीं हुई इसलिए सनद खातेदारी का प्रश्न ही पैदा नहीं है। विवादित भूमि पर उसका कब्जा है। भूमि रकबा राज है। विवादित भूमि पर मेरा कब्जा है। कि.न. 11 में मैंने रिहायशी ढाणी बनी हुई है। विवादित भूमि रकबा राज है। प्रार्थी टेनेन्ट नहीं है। इसलितए विभाजन करवाने का दावा प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 4 स्वीकार नहीं है,विवादित भूमि पर उधरदाता व प्रार्थीया ने विवादित भूमि मु.न. 34 के कि.न. 1 ता 3 में चना, 4–5–6–7 में सरसों, 8 से 10 में चना, 12 ता 15 में आधा चना व आधा में सरसों, 16 ता 20 में चना व 21 से 25 में सरसों की फसल काश्त कर रखी है। जो अब करीब–करीब पक कर तैयार है। प्रथम दृष्टया अप्रार्थीया सुमित्रा के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन भी उसके पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाव देही खर्चा दिलाया जावे।

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि उसकी खरीद शुदा होना बताया है। बैय की हैसियत से प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीया दखलअन्दाजी करने से बाज व ममनु रहे। अप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन पारित किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि मे वर्तमान में रकबा राज है। उसे अभी आवंटन नहीं हुई है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि वाके चक 4 बीडब्ल्यूएसएम के मु.न. 34 प.न. 290 / 330 के 23.10 बीधा नहरी रकबा राज है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण सं. 11 / 98 (अस्पष्ट) अप्रार्थी सुमित्रा बाई पत्नि प्रीतमसिहं को आवंटन पत्रावली के निर्णय दिनांक 23.08.2014 के द्वारा प्रार्थीयां सुमित्रा बाई को आवंटन हेतु पात्र पाया गया है। आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया जाना आदेश है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा नोटेरी पब्लिक तस्दीक शुदा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। ऐसे में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है तथा प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। उक्त रकबा वर्तमान में राज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.06.2021 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:33:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रकरण संख्या 78/2021 अनवान
जगराजसिंह बनाम सुमित्रा आदि
निर्णय दिनांक 23.08.2024

आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

{सुभाषचन्द (आर ए एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:33:06 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner